

**इस अध्याय में हमने जो मुख्यांकित किया** इस अध्याय में हमने ₹ 71.04 लाख के उदाहरणात्मक प्रकरण सम्मिलित किये है जो पापीस्ट्रा के आरक्षित मुल्य का गलत निर्धारण एवं देशी/विदेशी मंदिरा के न्यूनतम प्रत्याभुत मात्रा (एम.जी.क्यू.) का गलत निर्धारण किया जाने बाबत है। जो आबकारी विभाग अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाये गये,

**राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति** वर्ष 2008-09 से 2012-13 के अवधि के दौरान बजट अनुमान से वास्तविक प्राप्तियाँ अधिक रही। वर्ष 2012-13 के दौरान प्रोसेस फीस की वृद्धि से 12.99 प्रतिशत अधिक राजस्व प्राप्त हुआ।

**लेखापरीक्षा द्वारा लक्ष्य न प्राप्त किया जाना** वर्ष 2012-13 के दौरान विभाग द्वारा 21 ईकाइयों की लेखापरीक्षा किये जाने हेतु योजना बनाई थी, परन्तु विभाग ने किसी भी ईकाई की लेखापरीक्षा नहीं की।  
हम अनुशंसा करते है कि विभाग जरूरी पदों की भर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही करे, जिससे आंतरिक लेखापरीक्षा नियमित रूप से की जा सकें।

**लेखापरीक्षा का प्रभाव** हमने वर्ष 2012-13 में राज्य आबकारी विभाग से संबंधित नौ ईकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की एवं 700 प्रकरणों में ₹ 20.02 करोड़ के शुल्क की अवसूली, शास्ति का अनारोपण मनोरंजन शुल्क की अवसूली/कम वसूली इत्यादि प्रकरणों को पाया। विभाग ने 364 प्रकरणों में सन्नहित ₹ 4.55 करोड़ के अवनिर्धारण, शुल्क, अनुज्ञापति फीस के अनारोपण/कम आरोपण इत्यादी को स्वीकार किया।

**हमारा निष्कर्ष** आबकारी विभाग को आवश्यकता है कि आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा को क्रियान्वित कर आंतरिक लेखापरीक्षा को नियमित रूप से परिचालन करे ताकि भविष्य में हमारे द्वारा पाई गई कमीयों की प्रकृतियों को टाला या रोका जा सके। यह भी अनुशंसा कि जाती है कि विभाग लेखा परीक्षा निरीक्षणों की निगरानी हेतु विशेष रूप से मान्य किये गये प्रकरणों में वसूली हेतु निरीक्षण प्रणाली सुदृढ़ करें।

## 6.1 कर प्रशासन

आबकारी विभाग राज्य को अधिक राजस्व प्राप्त कर देने वाला विभाग है। राजस्व आम में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 एवं इसके अंतर्गत जारी किए गए नियमों तथा अधिसूचनाओं के प्रावधानों के अनुसार आरोपित अथवा आदेशित शुल्क फीस अथवा राजसात के द्वारा होने वाली आय समाहित होती है। इसमें मंदिरा के निर्माण, धारण तथा विक्रय, भांग तथा पोस्ता शीर्ष द्वारा होने वाली आय भी सम्मिलित है। विभाग मंदिरा दुकानों को संधारित करता है तथा निजी अनुज्ञप्तिधारियों को इन दुकानों से देशी/विदेशी मंदिरा, भांग तथा पोस्ता विक्रय करने की अनुमति देता है। मंदिरा के निर्माण हेतु आबकारी आयुक्त राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त कर प्रतिवर्ष अनुज्ञप्ति प्रदान करता है। विभाग के अधिनियम एवं नियम नीचे दिए गए हैं :

- छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915;
- छत्तीसगढ़ आसवनी नियम, 1995;
- छत्तीसगढ़ विदेशी मंदिरा नियम, 1996; एवं
- छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम, 1995

छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 के प्रावधानों के अंतर्गत आबकारी विभाग मनोरंजन शुल्क के रूप में भी राजस्व एकत्र करता है।

शासन स्तर पर सचिव सह आबकारी आयुक्त आबकारी विभाग के प्रमुख है। उनकी सहायता अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, उप आयुक्त, सहायक आयुक्त, जिला आबकारी अधिकारी एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी द्वारा की जाती है। जिले के जिलाधीश आबकारी प्रशासन के प्रमुख है।

## 6.2 राज्य आबकारी राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के अवधि के दौरान राज्य आबकारी द्वारा राज्य की वास्तविक प्राप्तियों के साथ कुल प्राप्त कर का विवरण नीचे प्रदर्शित किया गया है :

( ₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	अन्तर आधिक्य (+) / कमी (-)	अन्तर का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	वास्तविक प्राप्तियाँ का कुल प्राप्तियों के साथ प्रतिशत
2008-09	950.00	964.10	(+) 14.1	1.48	6,593.72	14.62
2009-10	1,158.00	1,187.72	(+) 29.72	2.57	7,123.25	16.67
2010-11	1,390.00	1,506.44	(+) 116.44	8.38	9,005.14	16.73
2011-12	1,550.00	1,596.98	(+) 46.98	3.03	10,712.25	14.91
2012-13	2,200.00	2,485.68	(+) 285.68	12.99	13,034.21	19.07

(स्रोत: छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)

वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2012-13 में ₹ 2,200.00 करोड़ का बजट स्वीकृत किया जिसके विरुद्ध वास्तविक प्राप्तियां ₹ 2,485.68 करोड़ थी। चूंकि 12 प्रतिशत से अधिक अंतर आने के कारण वित्त विभाग को बजट अनुमान बनाते समय और अधिक सटीक होना चाहिए। विभाग ने कहा कि प्रोसेस फीस की प्राप्ति के कारण अंतर था।

### 6.3 बकाया राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2013 की स्थिति में बकाया राजस्व ₹ 31.04 करोड़ था, निम्न तालिका में अवधि 2008-09 से 2012-13 के दौरान राजस्व बकाया की स्थिति को दर्शाया गया है:  
(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया का प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान जारी मांग	वर्ष के दौरान राशि का संग्रहण	बकाया का अंतिम शेष
2008-09	22.82	0.49	0.05	23.26
2009-10	23.26	2.42	0.08	25.60
2010-11	25.60	0.37	0.67	25.30
2011-12	25.30	0.04	0.46	24.88
2012-13	24.88	6.57	0.41	31.04

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रदाय आंकड़े अनुसार)

### 6.4 संग्रहण की लागत

राज्य आबकारी से संबंधित सकल प्राप्तियों के संग्रहण पर हुआ व्यय, कुल संग्रहण पर वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में हुए संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत तथा पूर्व वर्षों का सकल संग्रहण का अखिल भारतीय औसत प्रतिशत नीचे दी गयी तालिका में दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संग्रहण	संग्रहण प्राप्ति पर व्यय	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	पूर्व वर्षों का सकल संग्रहण का अखिल भारतीय औसत प्रतिशत
2010-11	1,506.44	40.68	2.70	3.64
2011-12	1,596.98	52.06	3.26	3.05
2012-13	2,485.68	46.63	1.88	2.98

विभाग संग्रहण पर होने वाले व्यय को वर्ष 2012-13 में अखिल भारतीय औसत से काफी नीचे रखने में सफल रहा। यह प्रशंसनीय है

### 6.5 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा (आ.ले.शा) एक ऐसा संगठन है जो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है एवं सामान्य तौर पर सभी नियंत्रणों के रूप में परिभाषित है जो संगठन को योग्य बनाती है कि निर्धारित पद्धतिया उचित रूप से कार्यशील है।

यद्यपि विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा में एक संयुक्त संचालक एवं दो सहायक आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी स्विकृत पूर्ण पद पर कार्यरत है किन्तु हमने देखा कि वर्ष

के दौरान विभाग द्वारा 21 ईकाईयों की लेखापरीक्षा किये जाने का आयोजन किया था, परन्तु एक भी ईकाई की लेखापरीक्षा नहीं की गई।

हम अनुशंसा करते हैं कि विभाग जरूरी पदों की भर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही करे, जिससे आंतरिक लेखापरीक्षा नियमित रूप से की जा सके।

## 6.6 लेखापरीक्षा का प्रभाव

**6.6.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007-08 से 2011-12) :** वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों में हमने देखा है कि हमारे निरीक्षण प्रतिवेदनों में शुल्क की अवसूली, अनुज्ञापति फीस की कम वसूली, मनोरंजन शुल्क की अवसूली/कम वसूली प्रकरणों में ₹ 24.61 करोड़ सन्निहित थी। विभाग द्वारा ₹ 11.63 करोड़ के प्रेक्षणों को स्वीकार किया जिसमें से ₹ 1.66 करोड़ मार्च 2012 तक वसूल किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	निरीक्षण प्रतिवेदनों का वर्ष	कुल मुल्य राशि	स्वीकार राशि	31 मार्च 2013 तक की वसूली
1	2007-08	14.95	8.68	निरंक
2.	2008-09	1.20	0.07	0.03
3.	2009-10	0.48	0.48	0.04
4.	2010-11	2.47	2.39	1.58
5.	2011-12	5.51	0.01	0.01
	<b>योग</b>	<b>24.61</b>	<b>11.63</b>	<b>1.66</b>

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि विभाग ने स्वीकार किये गये राशि का 14 प्रतिशत वसूला।

यह अनुशंसा की जाती है कि शासन स्वीकृत किये गये प्रकरणों में सन्निहित राशि की वसूली हेतु शीघ्र कार्यवाही करें।

## 6.6.2 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007-08 से 2011-12):

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान हमारे निरीक्षण प्रतिवेदनों द्वारा शुल्क की अवसूली, अनुज्ञापति फीस की कम वसूली, शास्ति का अनारोपण, मनोरंजन शुल्क की अवसूली/कम वसूली के साथ 4,321 प्रकरणों में ₹ 131.78 करोड़ का राजस्व प्रभावित हुआ। इसमें से विभाग/शासन द्वारा 2,471 प्रकरणों में सन्निहित राशि ₹ 41.21 करोड़ लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया गया। विस्तृत विवरण निम्नानुसार दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षित ईकाइयों की संख्या	आक्षेपित राशि		स्वीकार राशि		वसूली गयी राशि (31 मार्च 2013 तक)	
		प्रकरण	राशि	प्रकरण	राशि	प्रकरण	राशि
2007-08	12	1,143	18.74	912	0.54	55	0.04
2008-09	10	223	17.79	56	2.85	2	0.02
2009-10	16	1,036	16.71	337	7.52	निरंक	निरंक
2010-11	9	1,332	64.62	1,084	22.02	6	3.37
2011-12	6	587	13.92	82	8.28	निरंक	निरंक
<b>योग</b>		<b>4,321</b>	<b>131.78</b>	<b>2,471</b>	<b>41.21</b>	<b>63</b>	<b>3.43</b>

उपर्युक्त सारणी में देखा जा सकता है कि विभाग ने स्वीकृत राशि के केवल 8 प्रतिशत राशि की वसूली की।

यह अनुशंसा की जाती है कि शासन स्वीकृत किये गये प्रकरणों में सन्निहित राशि की वसूली हेतु शीघ्र कार्यवाही करें।

### 6.6.3 निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2012-13):

हमने आबकारी विभाग के 16 ईकाइयों में से नौ ईकाइयों जिनका कुल राजस्व (2011-12) राशि ₹ 1,024.04 करोड़ था के अभिलेखों की वर्ष 2012-13 में नमूना जाँच की। हमने 700 प्रकरणों में ₹ 20.02 करोड़ राशि के आबकारी शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण, मद्यभण्डागार में स्पिरिट का न्यूनतम संग्रह न रखें जाने पर शास्ति के अनारोपण, मनोरंजन शुल्क की बकाया एवं शास्ति का अनारोपण तथा अन्य अनियमिततायें देखी। प्रेक्षकों को निम्न क्षेत्रों में मुख्यतः वर्गीकृत किया गया है :

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	आबकारी शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण ।	109	10.11
2.	भाण्डागारों में स्पिरिट का न्यूनतम स्कंध न रखने पर शास्ति का अनारोपण।	66	5.78
3.	मनोरंजन शुल्क का बकाया एवं शास्ति का अनारोपण।	126	0.32
4.	अन्य अनियमितताये।	399	3.81
<b>योग</b>		<b>700</b>	<b>20.02</b>

वर्ष के दौरान, विभाग द्वारा 364 प्रकरणों में सन्निहित ₹ 4.55 करोड़ के अवनिर्धारण, शुल्क, अनुज्ञप्ति फीस के अनारोपण/कम आरोपण इत्यादि स्वीकार किया गया है।

कुछ उदाहरणात्मक प्रकरण में जिसमें ₹ 71.04 लाख सन्निहित है कंडिका में नीचे वर्णित है :

## 6.7 लेखापरीक्षा टिप्पणी

हमारे द्वारा जिला आबकारी कार्यालयों के आबकारी शुल्क, फीस एवं प्रभार के निर्धारण संबंधित अभिलेखों की जांच में देखा गया कि कई प्रकरणों में अधिनियम/नियमों/वार्षिक आबकारी नितियों को प्रावधानों का नहीं किया गया, जिसमें पालन पर आरक्षित मुल्य का गलत निर्धारण एवं देशी/विदेशी मदिरा का न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का गलत निर्धारण के प्रकरण पाये गये, जैसा कि अनुवर्ती कंडिका में वर्णित है। यह प्रकरण उदाहरणात्मक है और लेखापरीक्षा नमूना जाँच पर आधारित है। सहायक आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा की गई इस प्रकार की अनियमितताएँ प्रतिवर्ष लेखापरीक्षा में इंगित की जाती है लेकिन यह अनियमितताएँ न केवल बनी रहती है बल्कि लेखापरीक्षा संपादित होने तक इनका पता नहीं लग पाता है। विभाग को आवश्यकता है कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को बेहतर किया जावे साथ ही आंतरिक लेखापरीक्षा को सद्दृष्ट किया जावे ताकि इस प्रकार के प्रकरणों की पुनरावृत्ति रोकी जा सकें।

## 6.8 आरक्षित मुल्य का गलत निर्धारण

राज्य आबकारी आयुक्त के पत्र क्र. 436 दिनांक 21.02.2011 के अनुसार वर्ष 2010-11 में पापीस्ट्रा दुकानों के लिये जो अनुज्ञप्ति फीस प्राप्त हुई थी, उसी को वर्ष 2011-12 के लिये न्यूनतम निलामी हेतु आरक्षित मुल्य होगी। जिला आबकारी, अधिकारी जगदलपुर द्वारा वर्ष 2010-11 में ₹ 8.85 लाख अनुज्ञप्ति फीस प्राप्त हुई थी। यदि न्यूनतम आरक्षित मुल्य से कम निर्धारण किय गया हो तो आयुक्त कार्यालय का एक प्रतिनिधि निलामी के समय उपस्थित रहना चाहिए एवं बाद में परिपत्र निकालना चाहिए

नौ इकाईयों की नमूना जाँच में से जिला आबकारी अधिकारी, जगदलपुर के जी-I पंजी<sup>1</sup> के नमूना जाँच (सितम्बर 2012) में हमने देखा कि एक पापीस्ट्रा दुकान समूह (5 खुदरा एवं एक थोक दुकान) की निलामी जिलाध्यक्ष, जगदलपुर द्वारा ₹ 5 लाख में की गई थी।

अभिलेखों की जाँच पर देखा गया कि वर्ष 2010-11 के दौरान इस समूह के लिये ₹ 8.85 लाख लायसेंस फीस प्राप्त की गई थी। इसलिये आयुक्त के आदेश के अनुसार न्यूनतम आरक्षित मुल्य ₹ 5 लाख के स्थान पर ₹ 8.85 लाख रखा जाना चाहिए था। अतः न्यूनतम आरक्षित मुल्य के निर्धारण में आयुक्त के आदेश का पालन नहीं किये जाने के फलस्वरूप ₹ 3.85 लाख का कम राजस्व प्राप्त हुआ।

हमने विभाग/शासन को स्थिति से उनकी टिप्पणी हेतु अवगत कराया (जून 2013) और बहिर्गमन बैठक के दौरान (अगस्त 2013) शासन ने उत्तर दिया कि दिनांक 30.03.2011 को जिलाध्यक्ष द्वारा निलामी की प्रक्रिया चलाई गई थी। जिसमें अधिकतम बोली ₹ 5 लाख थी। कलेक्टर ने अधिकतम बोली ₹ 5 लाख को मान्य कर आबकारी आयुक्त को कार्योउपरान्त अनुमोदन के लिए भेजा (मार्च 2011)।

<sup>1</sup> माहवार अनुज्ञप्ति फीस के भुगतान की पंजी जी-I अभिलेख।

उत्तर समाधान कारक नहीं है, क्योंकि सामान्य आरक्षित मुल्य के निर्धारण की स्विकृति आयुक्त से अनुमोदित नहीं थी जो आरक्षित मुल्य के निर्धारण हेतु सामान्य रूप से आवश्यक है।

## 6.9 देशी मदिरा का न्यूनतम मात्रा का गलत निर्धारण

आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ ने समस्त जिलाध्यक्ष को निर्देशित किया गया था (अक्टूबर 2009) की वर्ष 2010-11 के लिए देशी मदिरा की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का प्रस्ताव भेजने के पूर्व प्रत्येक देशी मदिरा के दुकान की वास्तविक मांग एवं खपत का परिक्षण किया जाय, तत्पश्चात जिलाध्यक्ष, आबकारी सलाहकार समिति की सहमति तथा परामर्श लेकर देशी मदिरा दुकान का न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का निर्धारण कर अनुमोदन के लिए आबकारी आयुक्त को भेजेगा।

आबकारी विभाग में राजस्व के दो भाग होते हैं यथा अनुज्ञप्ति फीस एवं आबकारी शुल्क। अनुज्ञप्ति फीस नियत है जो लक्ष्य का 60 प्रतिशत होता है, जिसे मदिरा के वास्तविक विक्री के अनपेक्ष अनिवार्य रूप से संदत्त करना होता है, दुसरा भाग वास्तविक विक्रय पर आबकारी शुल्क है, जो नियत लक्ष्य के 40 प्रतिशत तक है, इसलिए यह आबकारी राजस्व का परिवर्तनशील घटक है।

नौ इकाईयों की नमूना जांच में से सहायक आयुक्त कोरबा के अभिलेखों<sup>2</sup> में हमने देखा (अक्टूबर 2012) की वर्ष 2010-11 के लिए ₹ 10.95 लाख फ्रूफ लीटर का प्रस्ताव आबकारी आयुक्त को अनुमोदन हेतु कलेक्टर द्वारा भेजा गया। (नवम्बर 2009) सहायक आयुक्त द्वारा पुनः ₹ 10.30 लाख फ्रूफ लीटर का संशोधित प्रस्ताव भेजा (फरवरी 2010) जिसे आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया गया जबकि लक्ष्य कम किए जाने का कोई विशिष्ट कारण अभिलेखित नहीं था। इसप्रकार अनुमोदित वर्ष 2010-11 का न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पिछले वर्ष की न्यूनतम

प्रत्याभूत मात्रा से 4.6 प्रतिशत कम था।

किन्तु सहायक आयुक्त के अभिलेखों से हमने पिछले चार वर्ष की देशी मदिरा का निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा एवं वास्तविक खपत देखा जो निम्नानुसार है :

<sup>2</sup> मदिरा दुकानों की आबंटित नास्तियाँ।

वर्ष	देशी मदिरा का न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का वार्षिक लक्ष्य (फ्रू.ली.में)	न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का वार्षिक अंतर (प्रतिशत में)	देशी मदिरा की वास्तविक खपत (फ्रू.ली. में)	अंतर (प्रतिशत में) कॉलम 4 से 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2007-08	10,30,000	-	10,86,104	5.44
2008-09	10,60,900	3.00	10,86,390	2.40
2009-10	10,80,000	1.80	11,33,043	4.91
2010-11	10,30,000	(-) 4.63	11,98,198	16.32

उपर्युक्त सारणी से देखा जा सकता है कि वर्ष 2007-08 से 2009-10 के दौरान देशी मदिरा की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा एवं वास्तविक खपत में बढ़ोत्तरी हुई थी। इसके बावजूद भी वर्ष 2010-11 का लक्ष्य पिछले वर्ष के तुलना में 50,000 फ्रूफ लीटर से कम रखा गया, जिसका कोई कारण लिखित में प्रस्तावित नहीं था।

इस प्रकार, आबकारी आयुक्त के निर्देश के बावजूद सहायक आयुक्त एवं जिलाध्यक्ष द्वारा वास्तविक खपत के आधार पर लक्ष्यो का निर्धारण न किये जाने तथा आबकारी आयुक्त द्वारा अपने ही निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित न कर उक्त लक्ष्यो का अनुमोदन किये जाने के परिणाम स्वरूप देशी मदिरा की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का गलत निर्धारण हुआ, जिससे अनुज्ञा शुल्क के रूप में ₹ 52.89 लाख<sup>3</sup> की कम प्राप्ति हुई।

हमने मामलों को विभाग/शासन को प्रतिवेदित कराया (जून 2013) शासन द्वारा बहिर्गमन बैठक के दौरान (अगस्त 2013) के टिप्पणी में कहा कि न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के कम किये जाने हेतु संशोधित प्रस्ताव जिला कार्यालय में भेजा गया था, जिसमें कोई राजस्व हानि नहीं हुई।

उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि मूल प्रस्ताव का लक्ष्य कम किये जाने का कोई कारण प्रस्तावित नहीं था। यद्यपि कोरबा छोड़कर राजस्व के सभी जिलों में पिछले वर्ष 2009-10 के तुलना में वर्ष 2010-11 में न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की बढ़ोतरी हुई है।

3

वर्ष 2010-11 के लिये आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित एम.जी.क्यू	वर्ष 2010-11 के लिये कलेक्टर द्वारा एम.जी.क्यू निर्धारण का प्रस्ताव	मात्रा में अंतर
10,30,000 फ्रू.ली.	10,95,300 फ्रू.ली.	65,300 फ्रू.ली

आबकारी शुल्क : 65,300 X 54 = ₹ 35,26,200/-

अनुज्ञा फीस : 35,26,200 X 60/40 = ₹ 52,89,300/-



## 6.10 विदेशी मदिरा का न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का गलत निर्धारण

आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ ने समस्त जिलाध्यक्ष को निर्देशित किया गया था (अक्टूबर 2009) की वर्ष 2010-11 के लिये देशी मदिरा की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का प्रस्ताव भेजने के पूर्व प्रत्येक देशी मदिरा के दुकानों की वास्तविक मांग एवं खपत का परिक्षण किया जाय, तत्पश्चात न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का प्रस्ताव भेजा जाय।

नौ इकाईयों की नमूना जांच में से सहायक आयुक्त कोरबा के अभिलेखों में हमने देखा (अक्टूबर 2012) कि विदेशी मदिरा दुकानों के आवंटित नास्ति के छः<sup>4</sup> विदेशी मदिरा दुकानों के प्रकरणों में वर्ष 2010-11 के लिये 90,000 बल्क लीटर का लक्ष्य रखने का प्रस्ताव

कलेक्टर द्वारा आबकारी आयुक्त रायपुर को भेजा गया। (नवम्बर 2009) आगे बिना कारण दिये हुए न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा को कम किये जाने हेतु 82500 बल्क लीटर का लक्ष्य रखे जाने का संशोधित प्रस्ताव कलेक्टर द्वारा पुनः भेजा गया। (फरवरी 2010) आगे, हमने सहायक आयुक्त के अभिलेखों से किया गया कि उक्त दुकानों के द्वारा माह दिसम्बर 2009 के अन्त तक माल्ट की वास्तविक खपत 1,30,163.06 बल्क लीटर थी। आगे यह भी देखने में आया की विदेशी मदिरा दुकानों द्वारा वर्ष 2009-10 में न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का वार्षिक लक्ष्य पहले से ही दिसम्बर 2009 के अन्त में ही खपत की जा चुकी थी। इसके बावजूद भी, वर्ष 2010-11 के लिए न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का प्रस्ताव रखा जबकि वास्तविक खपत को सहायक आयुक्त ने लेखों में नहीं लिया। इस प्रकार, आबकारी आयुक्त के निर्देशों के बावजूद सहायक आयुक्त एवं जिलाध्यक्ष द्वारा वास्तविक खपत के आधार पर लक्ष्यों का निर्धारण न किये जाने तथा आबकारी आयुक्त द्वारा अपने ही निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित न कर उक्त लक्ष्यों का अनुमोदन किये जाने के परिणामस्वरूप विदेशी मदिरा (माल्ट) का न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का गलत निर्धारण हुआ, जिससे अनुज्ञा शुल्क ₹ 14.30 लाख की कम प्राप्ति हुयी। (परिशिष्ट 6.1 में विवरण दिया है।)

हमारे द्वारा मामले को शासन/विभाग को प्रतिवेदीत किया गया (जून 2013) शासन द्वारा बहिर्गमन बैठक के दौरान कहा (अगस्त 2013) कि वर्ष 2010-11 में छः दुकानों की निर्धारित प्रत्याभूत मात्रा के लक्ष्य की तुलना में वास्तविक खपत में 153.8 प्रतिशत की वृद्धि थी। एवं कुल मिलाकर 78.67 प्रतिशत औसत खपत में वृद्धि हुई थी।

उत्तर से स्वतः ही स्पष्ट होता है कि न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का लक्ष्य से अवास्तविक रूप से 78.67 प्रतिशत खपत में वृद्धि थी।

<sup>4</sup> कोठारी, राजगामार, हस्दीबाजार, कठधोरा, चोटिया एवं पाली